बिमला कुल्हार बनाम नवीन कुमार वगै0
मु0नं0 195/2023
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक –15.04.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम देवरोड पटवार हल्का देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भुमि के खाता संख्या 211 हाल खसरा नम्बर 188 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.49 है0 व खसरा नम्बर 190 रकबा 2.46 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3. 75 है0 भूमि का पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.03.2025 में अंकितानुसार अलग–अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–195 / 2023
बिमला कुल्हार बनाम नवीन कुमार वगै0
निर्णय दिनांकः– 15.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 195 / 2023
निर्णय दिनांकः– 15.04.2025

बिमला कुल्हार बनाम नवीन कुमार वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 15.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

"**वाद वादिया डिक्री किया जाता है कि** मौजा ग्राम देवरोड पटवार हल्का देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भुमि के खाता संख्या 211 हाल खसरा नम्बर 188 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.49 है0 व खसरा नम्बर 190 रकबा 2.46 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.75 है0 भूमि का पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.03.2025 में अंकितानुसार अलग–अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ